

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: FCA/e-996760/ 1262
सेवा में

दिनांक: 14/08/2023

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़।

विषय: Diversion of 0.5845 Ha. of forest Land for Construction of 220 Kv D/C Mund-IOCI transmission Line in under Forest Division & Distt. Karnal, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Trans/153329/2022

मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक द्वारा HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED, SHAKTI BHAWAN, SECTOR -6 PANCHKULA. के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.5845 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 250 वृक्ष (वाल्युम 264.77 m³) बाधक है जो कटवाए जाएंगे व इसके अतिरिक्त 500 पौधे भी नष्ट किया जाएंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंन्सी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	991900
3.	Barbed Wire Fencing Charges	396760
4.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड	277732
5.	फैलिंग चार्जिज	559822
	कुल	370678
		2596892

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Drain No.2, Munak Head to Dablana Bridge. पर 3500 पौधे लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त आपको ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
हरियाणा, पंचकुला।

क्रमांक: FCA/e-996760/ 1263

एक प्रति क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को प्रेषित है।

दिनांक: 14/08/2023

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
हरियाणा, पंचकुला।

Full Title of the Project : Diversion of 0.5845 Ha. of forest Land for Construction of 220 Kv D/C Mund-IOCI transmission Line in under Forest Division & Distt. Karnal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Trans/153329/2022

PART – IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator Forests or Head of Forest Dept.)

17.	Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks. (while giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon.)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : _____

Place : **Panchkula**

Signature
Name
Office Seal


**Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula**